UBN No. : DLB2223SSOB34892

कार्यालय नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

पोलिटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर
ceo nnj@rediffmail.com tel 02912651464 fax 2651466

क्रमांक : 581 — दिनांक : 30/03/23

सार्वजनिक नीलामी सूचना

जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंड़ों की भव्य ई–नीलामी निम्नानुसार रखी गई है :–

क्र स	योजना का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल वर्गफुट	लीज गणना हेतु आरक्षित दर प्रति वर्गफुट	न्युनतम बोली प्रति वर्गफुट (रूपये)	धरोहर राशि रूपये	ई.एम.डी जमा कराने की अवधि व समय	ई–नीलामी में भाग लेने की अवधि व समय	ई.एम.डी जमा कराने की अन्तिम अवधि व समय	ई–नीलामी की समाप्ति की अन्तिम अवधि व समय
1	मुरूधर केसरी नगर आवासीय योजना	06 10 13	1492.50 1507.50 1507.50	959 959 959	2320 2320 2320	70000 70000 70000	05.04.2023 से 19.04.2023 11.00AM	05.04.2023 से 20.04.2023 11.00AM	19.04.2023 11.00AM	20.04.2023 05.00PM
2	सुभाष नगर विस्तार योजना व्यासायिक भूखण्ड	05 11	150 150	1918 1918	5040 5040	15120 15120	05.04.2023 से 19.04.2023 11.00AM	05.04.2023 से 20.04.2023 11.00AM	19.04.2023 11.00AM	20.04.2023 05.00PM
3	गाँधी मैदान वाणिज्यिक दुकानों की योजना	14	205	10800	32000	81000	05.04.2023 से 19.04.2023 11.00AM	05.04.2023 से 20.04.2023 11.00AM	19.04.2023 11.00AM	20.04.2023 05.00PM

ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया :–

1–ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए https://nnjsouth.procure247.comलिंक पर जाकर आवेदक को अपनी ईमेल आईडी के माध्यम से "Bidder Registration"परclick कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

2–Bidder रजिस्ट्रेशन के समय धरोहर राशि (EMD) रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट का विवरण अनिवार्य रूप से सबमिट करना होगा|

3–Bidder रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक ई–ऑक्शनपोर्टलhttps://nnjsouth.procure247.com पर लॉगिन कर नीलाम होने वाले भूखंड का चयन कर सकता है तथा निर्धारित धरोहर राशि (EMD) ऑनलाइन जमा करवाकर ई –ऑक्शन प्रक्रिया में भाग ले सकता है ।

4–ई–ऑक्शन की प्रक्रिया एवं नीलाम होने वाली प्रॉपर्टी के बारे में अधिक जानकारी के लिए नगर निगम जोधपुर (दक्षिण) की वेबसाइट https://urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर "E-auction"लिंक के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

5–ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी अथवा तकनीकी समस्या के सम्बन्ध में श्री कपिल लूणा , ए.सी.पी. से दूरभाष नंबर 9828500286 पर संपर्क कर सकते है ।

नीलामी की मुख्य शर्ते

1. अमानत राशि बोली लगाने से पूर्व बिड प्रारंभ की दर के आधार पर भूखण्ड की कीमत की 2 प्रतिशत राशि (नीलामी की सूचना के अनुसार) RTGS/NEFT के द्वारा आयुक्त, जोधपुर नगर निगम (दक्षिण) के नाम जमा कराना होगा, जो कि बाद में भूखण्ड की कीमत में समायोजित कर ली जाएगी, यदि उसकी बोली स्वीकार की जाती है अन्यथा रिफण्ड किया जाएगा।
2. सफलतम बोली दाता की बोली स्वीकार किए जाने की दशा में नीलामी में भाग लेने हेतु जमा कराई गई 2 प्रतिशत अमानत राशि को जमा मानते हुए कुल बिड राशि (क्षेत्रफल X उच्चतम स्वीकृत दर) की 15 प्रतिशत राशि (अमानत रशि को समायोजित करते हुए) नीलामी की दिनांक से 3 कार्य दिवस में नगर निगम दक्षिण, जोधपुर खाते में जमा करानी होगी एवं जमा कि सूचना अविलम्ब नीलामी प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करनी होगी। यह राशि RTGS/NEFT के द्वारा ही जमा कराई जा सकती है। सफल बोलीदाता द्वारा बिड राशि की 15 प्रतिशत निर्धारित अवधि में जमा नही कराए जाने पर जमा अमानत राशि जब्त हो जावेगी तथा भूखण्ड की नीलामी निरस्त हो जावेगी।
3. सफलतम बोलीदाता को कुल बिड राशि की 35 प्रतिशत राशि नीलामी की दिनांक 120 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी । यदि सफलतम बिडर 120 दिवस में राशि जमा कराने में असफल रहता है। तो आगामी 60 दिवस अथवा बढाई गई अवधि तक शेष बकया राशि पर ब्याज 15 प्रतिशत की दर से जमा करवा सकता है। ब्याज की गणना नीलामी तिथि से होगी।
4. सफलतम बोलीदाता को कुल बिड राशि की शेष 50 प्रतिशत राशि नीलामी की दिनांक से 180 दिवस की अवधि से जमा करानी होगी। यदि बिडर 180 दिवस में 50 प्रतिशत राशि जमा कराने में असफल रहता है तो आगामी 90 दिवस की अवधि तक शेष बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर से जमा करवा सकता है। ब्याज की गणना नीलामी तिथि से होगी।
5. यदि सफल बोलीदाता द्वारा माँग पत्र जारी करने की दिनांक के 15 दिवस में पूर्ण रशि जमा करवाई जाती है तो वह बिड राशि 1 प्रतिशत छूट राज्य सरकार के नियमानुसर पाने का अधिकारी होगा।
6. बढाई गई अवधि में राशि जमा करवाने में असफल रहने पर पूर्व में जमा समस्त राशि जब्त हो जावेगी एवं भूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जावेगी।
7. बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी।
8. 5बोली व्यवसायिक के लिए 100/– रू. व रहवासीय के लिए 10/– रू. के गुणक में स्वीकार होगी।

9. भूखण्ड नियमानुसार 99 वर्ष की शहर जमाबंदी के आधार पर विक्रय होंगें। लीज राशि रहवासीय भूखण्डो हेतु @2.5% Per Sq. Mtr. एवं व्यवसायिक भूखण्डो हेतु @5% Per Sq. Mtr. की दर से आरक्षित मूल्य पर लीज राशि प्रती वर्ष के आधार पर देय होगी।

10. आवासीय, संस्थानिक भूखण्डों (300 वर्ग मीटर से अधिक) पर 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर, वाणिज्यिक भूखण्डों पर 25 रूपये प्रति वर्ग मीटर BSUP [shelter] Fund के लिए राशि देनी होगी।

11. सम्पति ''जहाँ है जैसी है'' के आधार पर नीलाम की जायेगी।

12. भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर उपलब्धता के अनुसार घट–बढ़ सकता है।

13. बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि बोली लगाने से पूर्व कृपया स्थल निरीक्षण कर लेवे।

14. बोली स्वीकार करने पूर्व किसी भी सम्पति की नींलामी को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण होगा।

15. जोधपुर नगर निगम दक्षिण की शर्ते एवं कंडीशन लागू होगी।

16. धरोहर राशि व अन्य डिमाण्ड नोट जो भूखण्ड से संबधित राशि जमा करने हेतु जारी किये जायेगे वह केवल RTGS/NEET के द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगे।

17. नीलामी से क्रेता द्वारा खरीदे गये भूखण्ड पर निर्माण राज्य सरकार द्वारा निष्पादित नियमों के अनुसार व समय पर करवाना होगा।

18. न्याय क्षैत्र जोधपुर हागा।

19. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

20. मेने समस्त शर्ते पढ़ कर समझ ली है जो मुझे मान्य है।

(विनिता सेठ)
महापौर
नगर निगम जोधपरु दक्षिण

(अरूण कुमार पुरोहित)
IAS
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

दिनांक :– 30/03/23

क्रमांक :– 582 to 583
प्रतिलिपी :–

1. सम्पादक महोदय...आगामी अंक में आम सूचना प्रकाशित कर बिल दो प्रति मे भिजवाने की कृपा करावें।
2. लेखाधिकारी, जोधपुर, नगर निगम, जोधपुर (दक्षिण)।

(अरूण कुमार पुरोहित)
IAS
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण